

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद मुगाल ( विना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2016 — आषाढ 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्रास./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 26-06-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, इतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
च्ह. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2016

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु  
अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा 1.  
प्रारंभ.

(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

धारा 2 का संशोधन. 2.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

नवीन धारा 9-क का 3.  
अन्तःस्थापन.

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है)

की धारा 2 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(3-क) “पंजीकृत कर्मचारी” से अभिप्रैत है कोई कर्मचारी जो धारा 9 के अंतर्गत अभिदाय करता है एवं जो  
धारा 9-क के अंतर्गत मण्डल द्वारा पंजीकृत है;”

मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“9-क. कर्मचारी का पंजीयन।—(1) धारा 2 के खण्ड (3) में यथा परिमापित कर्मचारी के पंजीयन हेतु,  
प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी जिनके नाम क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर को स्थापना के रजिस्टर में  
दर्ज हो, का विहित प्रालौकिक विवरण, मण्डल को प्रस्तुत करेगा।

(2) मण्डल, नियमानुसार तथा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से कर्मचारियों का पंजीयन करेगा।”

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्राल./छ. ग./16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की  
समसंबंधिक अधिसूचना दिनांक 11-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एवं द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
द्वी. के. होता, अतिरिक्त सचिव।